भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1346
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन

1346. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन का घटक-वार और जिला-वार, विशेषकर प्रकाशम और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर प्रकाशम और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सहित देश में पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर प्रकाशम और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत लंबित अवसंरचना कार्यों को पूरा करने के लिए जिला-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति तथा प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर प्रकाशम और बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सहित देश में पीएमएमएसवाई योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षो की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रही है। विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य में मात्स्यिकी और जल कृषि के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत 559.10 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ, 2398.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत गतिविधियों का विवरण अनुबंध -I में दिया गया है । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रकाशम और बापटला जिले में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत क्रियान्वित की गई गतिविधियों का विवरण अनुबंध -II में दिया गया है।

(ख): विगत चार वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए 7162.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और जिनमें से 4671.62 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए गए हैं। इस अवधि के दौरान मत्स्यपालन विभाग**,** मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 482.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए किए 328.13 करोड़ रुपये के उपयोग की सूचना दी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रकाशम और बापटला जिले में पीएमएमएसवाई के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि नीचे दी गई है:

क्रम सं.	**जिला**	**आवंटित निधि** (रुपए लाख में)	**उपयोग की गई धनराशि** (रुपए लाख में)
1	बापतला	1806.00	499.05
2	प्रकाशम	1148.81	270.46

(ग): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रकाशम और बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कार्यान्वित जिलावार इन्फ्रस्ट्रक्चर गतिविधियों की स्थिति अनुबंध-III में दी गई है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोशर और क्षमता निर्माण' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की गतिविधि को लागू कर रही है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को पीएमएमएसवाई के तहत 100% केंद्रीय सहायता के साथ इस गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। एनएफडीबी ने सूचित किया है कि देश भर में मात्स्यिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और निजी सूचीबद्ध एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से पीएमएमएसवाई को लोकप्रिय बनाने के लिए 2981 आउटरीच, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 3.7 करोड़ मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को शामिल किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि प्रकाशम और बापटला संसदीय क्षेत्र सहित राज्य में पीएमएमएसवाई को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गईं जैसे (i) ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण (ii) राज्य भर में एवेयरनेस कैम्प (iii) पीएमएमएसवाई के घटकों का तेलुगु में अनुवाद किया गया, और राज्य में मछुआरों और किसानों के बीच पैम्फ्लेट वितरित किए गए तथा (iv) सागर परिक्रमा कार्यक्रम के दौरान भी पीएमएमएसवाई को लोकप्रिय बनाया गया।

अनुबंध - I

पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - पीएमएमएसवाई के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को स्वीकृत गतिविधियाँ।

(रुपए लाख में)

क्र.सं	गतिविधि का नाम	इकाई	वास्तविक इकाई	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश
(I)	(ii)	(iii)	(IV)	(V)	(VI)
1	मीठे पानी की फिनफिश हैचरी	संख्या	5.00	125.00	36.00
2	खारे पानी की हैचरी	संख्या	10.00	500.00	150.00
3	मीठे पानी वाले क्षेत्र के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण	है॰	47.00	658.00	186.48
4	खारे पानी वाले क्षेत्रों के लिए बायोफ्लोक तालाबों का निर्माण	है॰	50.00	900.00	265.68
5	जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण (स्टॉकिंग)@1000FL/हेक्टेयर	है॰	1914.00	5742.00	1641.00
6	ओपेन सी केज की स्थापना	संख्या	800.00	4000.00	1084.80
7	इनपुट सहित सी वीड कल्चर राफ्ट्स	संख्या	26000.00	390.00	115.20
8	इनपुट सहित मोनोलाइन/ट्यूब नेट विधि से सी वीड कल्चर की स्थापना,	संख्या	41200.00	3296.00	902.40
9	बाइवैल्व (मसल्स, क्लैम्स, पर्ल आदि)		50.00	10.00	3.00
10	बड़े आरएएस की स्थापना (न्यूनतम 90 एम3 के 8 टैंक/टैंक क्षमता 40 टन/क्रॉप के साथ)	संख्या	34.00	1700.00	480.00
11	मध्यम आरएएस की स्थापना (न्यूनतम 30 एम 3/टैंक क्षमता 10 टन/क्रॉप के 6 टैंक के साथ)	संख्या	10.00	250.00	72.00
12	बैकयार्ड मिनी-आरएएस इकाइयों की स्थापना	संख्या	20.00	10.00	3.12
13	जलाशयों में केजों की स्थापना	संख्या	300.00	900.00	254.16
14	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (10 टन/दिन)	संख्या	10.00	400.00	115.20
15	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (20 टन/दिन)	संख्या	1.00	80.00	19.20
16	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण (30 टन/दिन)	संख्या	1.00	120.00	43.20
17	कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण निर्माण (50 टन/दिन)	संख्या	4.00	600.00	162.00
18	इंसुलेटेड वाहन	संख्या	200.00	4000.00	1152.00
19	लाइव फिश वेंडिगं सेन्टर	संख्या	245.00	4900.00	1408.80
20	आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल	संख्या	800.00	600.00	172.80
21	मत्स्य विक्रय (फिश वेंडिंग) के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स युक्त तिपहिया वाहन	संख्या	400.00	1200.00	345.60
22	फिश फीड प्लांट (बड़े)	संख्या	5.00	1450.00	450.00

क्र.सं	गतिविधि का नाम	इकाई	वास्तविक इकाई	परियोजना लागत	केंद्रीय अंश
23	ओर्नामेंटल फिश /एक्वेरियम कियोस्क सहित मत्स्य खुदरा बाजार।	संख्या	150.00	12000.00	3288.00
24	एक्वेरियम/ ओर्नामेंटल फिश के कियोस्क सहित फिश कियोस्क	संख्या	4615.00	14263.75	3992.73
25	मत्स्य मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयाँ	संख्या	25.00	1250.00	360.00
26	मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म	संख्या	1.00	100.00	24.00
27	पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण के लिए सहायता	संख्या	50.00	6000.00	1526.40
28	मशीनीकृत फिशिंग वेसल्स में जैव-शौचालय की स्थापना	संख्या	1300.00	650.00	159.60
29	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ	संख्या	2.00	50.00	15.00
30	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण मोबाइल लेब/क्लिनिक	संख्या	8.00	280.00	79.80
31	पारंपरिक और मोटोराइज्ड वेसल्स के लिए संचार और/या ट्रैकिंग उपकरण जैसे वीएचएफ/डीएटी/एनएवीआईसी/ट्रांसपोंडर आदि।	संख्या	10000.00	3500.00	892.08
32	पारंपरिक मछुआरों के लिए बोट (प्रतिस्थापन) और जाल(नेट) उपलब्ध कराना	संख्या	2191.00	10955.00	2659.20
33	मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।	संख्या	123000.00	19922.4	6640.80
34	ब्रूड बैंकों की स्थापना	संख्या	1.00	500.00	300.00
35	एकीकृत एक्वा पार्क	संख्या	1.00	8808.00	5285.00
36	फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग केंद्रों का विकास	संख्या	3.00	113720.00	12000.00
37	आधुनिक इन्टीग्रेटेड फिश लैंडिंग सेन्टर		6.00	12691.32	7614.79
38	कर्नाटक के तट पर आर्टिफिशियल रिफ्स की स्थापना		22.00	770.00	462.00
39	बहुउद्देशीय सहायता सेवाएँ – सागर मित्र	संख्या	600.00	2581.20	1548.72
	कुल			**239872.67**	**55910.76**

*****

अनुबंध- II

पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - बापटला और प्रकाशम जिले में कार्यान्वयन के लिए पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत गतिविधियाँ ।

क्र.सं.	गतिविधियों का नाम	बापतला	प्रकाशम
		स्वीकृत इकाई	स्वीकृत इकाइयाँ
1	नए खारे पानी की हैचरी	4	1
2	खारे पानी के तालाबों के लिए बायोफ्लोक तालाब	9	6
3	मीठे पानी के तालाबों के लिए बायोफ्लोक तालाब	5	3
4	जलाशय में फिंगरलिंग्स स्टॉकिंग	47	160
5	बड़े आरएएस सिस्टम	4	3
6	मध्यम आरएएस	1	0
7	आइस प्लांट- 10टी	1	1
8	आइस प्लांट – 50टी	1	0
9	ओपन सी केज कल्चर	26	10
10	जलाशय में केज	5	6
11	आइस बॉक्स सहित मोटर साइकिलें	27	35
12	इंसुलेटेड वाहन	14	9
13	डीप सी फिशिंग वेसल्स	12	0
14	जैव शौचालय	210	33
15	मोबाइल लैब्रटॉरी	1	1
16	नावें और जाल	289	109
17	फिश रिटेल मार्केट	4	5
18	मूल्य संवर्धित उद्यम	4	4
19	लाइव फिश वेंडिग सेन्टर	14	9
20	फिश कियोस्क का निर्माण	३१	42
21	फिश कियोस्क मिनी	168	206
22	आइस बॉक्स के साथ 3-पहिया वाहन	17	17
23	सी वीड	13660	5191
24	मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।	32054	24246

अनुबंध-III

पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1346 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण - प्रकाशम और बापटला जिले सहित पीएमएमएसवाई के तहत कार्यान्वित जिलेवार इनफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों की स्थिति।

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**घटक का नाम**	**वर्तमान स्थिति**
1	श्रीकाकुलम	बुदागटलापलेम फिशिंग हार्बर	कार्य प्रारंभ
2	विजयनगरम	फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी), चिंतापल्ली	निविदा चरण
3	अनकापल्ली	पुदिमदका फिशिंग हार्बर	कार्य प्रारंभ
		फिश लेंडिंग सेंटर, राजाय्यापेटा	निविदा चरण
		फिश लेंडिंग सेंटर. डोंडावाका	निविदा चरण
4	विशाखापत्तनम	फिश लेंडिंग सेंटर, भीमिली	निविदा चरण
5	काकीनाडा	फिश लेंडिंग सेंटर, उप्पलंका	निविदा चरण
6	बापतला	इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क	भूमि का अग्रिम अधिकार ले लिया गया है, कार्यकारी एजेंसी की पहचान कर ली गई है।
7	प्रकाशम	कोठापट्टनम फिशिंग हार्बर	वैकल्पिक साईट की पहचान की गई।
8	तिरुपति	फिश लेंडिंग सेंटर रायदारुवु	निविदा चरण

*****